>

Title: Alleged police atrocities meted out to the people including the leader of opposition in both houses while trying to hoist the national flag in Lal Chowk, Srinagar.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदय, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोलकाता से कश्मीर तक राष्ट्रीय एकता की यात्रा देश के युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू की थी। कश्मीर की समस्या को लेकर इस यात्रा की शुरूआत की गई थी। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी थी, जिसने लगभग 3300 किलोमीटर का सफर तय किया था। हमने अलगाववाद को चुनौती दी और यह संदेश देने का प्रयास किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चुनौती अलगाववादियों को थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने अलगाववाद के सामने घुटने टेक दिए। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा को 12 राज्यों से निकाला गया और हमने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने की ठानी थी। लेकिन जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, 50,000 से ज्यादा नौजवान जम्मू-कश्मीर की सीमा पर मेरे साथ थे। पुलिस ने 500 लोगों को गिरफ्तार किया। जिस तरह से लाल चौक पर जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने व्यवहार किया, अत्याचार किया गया, युवाओं पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। वहां पर प्रदेश की पुलिस द्वारा तिरंगे को फाड़ा गया। कई युवाओं के हाथ तोड़ दिए गए। क्या आजाद भारत में अपने देश के किसी कोने में तिरंगा फहराना अपराध है? लोक सभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष को 26 जनवरी के दिन गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। मुझे और मेरे साथी अनंत कुमार जी को जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उस दिन कठुआ की जेल में रखा गया। क्या इस देश में तिरंगा फहराना एक अपराध है? मैं यह सवाल केन्द्र सरकार से करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन युवाओं ने अलगाववाद को चुनौती दी, लाल चौक पर पुलिस ने जो पुलिसिए जुल्म किए, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया, क्या उसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई की? क्या उसके बाद कोई उचित कदम केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया? क्या वह यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से नहीं थी, क्योंकि 12 राज्यों में, जहां से होकर यह यात्रा निकली, एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी? फिर क्या कारण था कि नेता प्रतिपक्ष लोक सभा और राज्य सभा को भी जेल में रखा गया? क्या कारण था कि हमें तिरंगा फहराने से रोका गया? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस देश भावना को युवाओं में जागृत करना भी कोई अपराध था? हिन्दुस्तान की फौज पर जो पथराव की घटनाएं हुई, 2500 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनका हाल किसी ने आजतक पूछा है? आज देश की सीमा पार से उन नौजवानों को देश के अंदर बुलाया जा रहा है, जो आतंकवादी बनने चले गए थे। उन लोगों को दो-दो लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। लेकिन जिन स्पेशनल पुलिस अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में रहकर आतंकवाद का सामना किया, उन्हें एक वर्ष से तनख्वाह नहीं दी गई है। क्या इन सवालों का जवाब केन्द्र सरकार में कोई दे पाएगा?

मैं आज यहां केवल इसलिए खड़ा हुआ हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो तिरंगे का अपमान हुआ, वह किसी और ने, अलगाववाद ने नहीं किया, अपने देश की और जम्मू-कश्मीर की सरकार ने किया है। इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि आज का युवा पीड़ित है कि अपने देश में तिरंगा नहीं फहरा पाता। उस कश्मीर के लिए हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन युवाओं का क्या होगा, जिनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए? क्या उस घटना पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई टिप्पणी की जाएगी? सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record now.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: Shri Ganesh Singh associated himself with the matter raised by Shri Anurag Singh Thakur.